

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (द.प्र.क्षेत्र), कक्ष संख्या-1, जनपद कन्नौज।

CNR No. UPKJ01-000726-2025

परिवाद संख्या-18/2025

जनता प्रति लता आदि

दिनांक-27.03.2026

अवकाश

दिनांक:-28.03.2026

वाद पुकारा गया। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं। परिवादिनी की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसीस्थिति में उक्त परिवाद का निस्तारण पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर किया जाना न्यायोचित होगा।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि परिवादिनी विगत कई तिथियों से निरन्तर अनुपस्थित चल रही है।

न्यायालय में उपस्थित रीडर द्वारा आदेश पत्र पर यह कथन किया कि आज परिवादिनी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है और न ही उसकी ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पत्रावली निरन्तर बयान अंतर्गत धारा-223 बी.एन.एस.एस में नियत चल रही है। आज परिवादिनी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आयी है। न्यायालय द्वारा परिवादिनी को साक्ष्य अन्तर्गत धारा-223 बी.एन.एस.एस. हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। ऐसा परिलक्षित होता है कि परिवादिनी अपने परिवादपत्र पर बल नहीं देना चाहती है।

परिवाद पत्र में किये गये कथनों के समर्थन में कोई भी ऐसा विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर विपक्षीगण को तलब किया जा सके। अतः ऐसी स्थिति में परिवाद साक्ष्य के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी का परिवाद अन्तर्गत धारा-226 बी.एन.एस.एस के प्राविधानों के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(द.प्र.क्षे), कक्ष संख्या-1, कन्नौज।